2. सरकार का यह फैसला सभी कर्मचारियों के नोटिस में लाया जाए ।

मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 3260-2 जी0एस0-II-71/18484, दिनांक 13 जुलाई, 1971 की प्रति ।

विषय : परिवार नियोजन प्रोग्राम--विशेष आकस्मिक छुट्टी ।

श्रीमान जी,

उपरोक्त विषय पर आप का ध्यान इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1452-2 जी0एस0-70/7417 दिनांक 30 मार्च, 1971 की ओर दिलाया जाता है जिसमें सरकारी कर्मचारियों, जिनकी धर्मपत्नियां नलबन्दी का आप्रेशन करवायें, को 7 दिन की विशेष छुट्टी दिए जाने पर के अनुदेश जारी किए गए इस सिलसिले में यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या कथित 7 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश पत्नियों के आपरेशन के तुरन्त बाद सम्बन्धित कर्मचारियों को दिया जाना है या उन्हें उत्साह के तौर पर यह अवकाश बाद में भी दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में यह सूचित किया जाता है कि 7 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश किसी सरकारी कर्मचारी को जिसकी धर्मपत्नी ने नलबन्दी आपरेशन करवाया हो केवल आपरेशन के समय ही दिया जाये ताकि कर्मचारी आपरेशन के बाद कुछ समय तक अपने बच्चों आदि की देखभाल कर सके ।

यह स्पष्टीकरण सभी कर्मचारियों के नोटिस में लाया जाये ।

भवदीय,

हस्ता0

उप सचिव, सामान्य प्रशासन

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक एक प्रति सूचनार्थ तथा उचित कार्यवाही के लिये भेजी जाती है ।

वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा ।

सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।